द्वारा फैक्स
अ0शा0 परिपत्र संख्याः 32 /2013

देवराज नागर
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश
1-बी0एन0 लहरी मार्ग, लखनऊ ।
दिनांकःलखनऊःजुलाई 01 ,2013

प्रिय महोदय

कृपया क्रिमिनल मिस(पी0आई0एल) रिट याचिका संख्या-1797/2011 मो0 कासिम बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय ने 06 महानगरों क्रमशः मेरठ/कानपुर/आगरा/वाराणसी/इलाहाबाद/लखनऊ में प्रत्येक शहरी थाने पर कानून-व्यवस्था व विवेचना विंग का पृथकीकरण करने के निर्देश दिये थें। इस क्रम में इन 06 महानगरों में वर्ष-2012 के विभिन्न माह में प्रत्येक शहरी थाने में पृथकीकरण करने के निर्देश जारी किये गये।

2. लगभग 01 वर्ष तक इस प्रयोग के मूल्यांकन से यह अनुभव हुआ कि उपनिरीक्षकों की भारी रिक्तियों के कारण पृथकीकरण बहुत सफल नहीं हो पा रहा है। कार्य की अधिकता के कारण विवेचना पुलिस व कानून-व्यवस्था पुलिस में नियुक्त उपनिरीक्षकों को दोनो ही कार्य करने पड़ रहे हैं। अतः पृथकीकरण का वॉछित लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है।

3. उपरोक्त रिट में दिनांक 23.5.2013 को मा0 उच्च न्यायालय में पुनः विचारण के दौरान मा0 उच्च न्यायालय को परिस्थितियों से अवगत कराते हुए अपर पुलिस महानिदेशक(अपराध एवं कानून-व्यवस्था), उ0प्र0 के परिपत्र संख्याः 03/2013 दिनांक 14.3.2013 द्वारा प्रत्येक जनपद में क्राइम ब्रान्च के गठन के सम्बन्ध में निर्गत निर्देश संज्ञान में लाये गये। मा0 उच्च न्यायालय को अवगत कराया गया कि उपनिरीक्षकों की भर्ती व प्रोन्नति से जैसे-जैसे रिक्तियॉ भरती जायेंगी, वैसे-वैसे प्रत्येक थाने पर विवेचना पुलिस व कानून-व्यवस्था पुलिस का पृथकीकरण लागू किया जायेगा। परन्तु जब तक रिक्तियॉ विद्यमान है तब तक प्रत्येक जनपद में गठित क्राईम ब्रान्च के द्वारा सनसनीखेज अपराधों की विवेचना का कार्य किया जायेगा ताकि विवेचना के स्तर में गुणात्मक सुधार हो सकें। मा0 उच्च न्यायालय ने उपरोक्त स्थिति से सहमति प्रकट करते हुए अपेक्षा की है कि परिपत्र निर्गत कर स्पष्ट कर दिया जाए कि क्राइम ब्रान्च द्वारा किस-किस प्रकार की विवेचना ग्रहण की जायेगी।

4. इसी क्रम में इस परिपत्र के माध्यम से स्पष्ट किया जाता है कि क्राइम ब्रान्च में 03 विवेचना टीमों के द्वारा निम्नलिखित अपराधों की विवेचना सम्पादित की जायेगीः-

(i) **<u>जघन्य अपराध इकाई (Serious Crime Unit)</u>**

(a) सभी अज्ञात हत्याएँ।

(b) 05 लाख रूपये से अधिक की डकैती एवं लूट ।

(c) सभी अज्ञात बलात्कार।

(d) 10 लाख रूपये से अधिक कीमती सामानों की चोरी।

(e) सभी बैंक लूट।

(f) फिरौती हेतु अपहरण।

(g) रोड होल्ड अप।

(ii) **<u>आर्थिक अपराध इकाई (Financial fraud Unit)</u>**

(a) 10 लाख से अधिक आर्थिक धोखा-धड़ी के अपराध।

(b) सभी मनी लॉड्रिंग अपराध।

(iii) **<u>साइबर अपराध इकाई (Cyber Crime Unit)</u>**

(a) आई0टी0 एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत सभी अपराधो की विवेचना।

5. अभी तक जनपद में गठित क्राइम ब्रान्च की उपलब्धियों का अवलोकन करने से ऐसा ज्ञात हो रहा है कि कुछ जनपदों में क्राइम ब्रान्च का कार्य सनसनीखेज के अपराधों के अनावरण तक ही सीमित है। महत्वपूर्ण अपराधों की विवेचना में इनका कोई योगदान नहीं है। यह कदापि उचित नहीं है। आप का ध्यान इस ओर आकर्षित करना है कि क्राइम ब्रान्च के अन्तर्गत गठित अभिसूचना तंत्र (Intelligence Wing) के द्वारा अपराध व अपराधी अभिसूचना संकलन व सर्विलान्स का काम किया जाता है और विवेचना इकाई के द्वारा इन अपराधों का अनावरण व विवेचना सम्पादित की जाती है। अतः अपेक्षा की जाती है कि क्राइम ब्रान्च में पर्याप्त मात्रा में उपनिरीक्षको को विवेचना टीम में नियुक्त करें ताकि उपरोक्त इंगित गये सभी अपराधों की विवेचना क्राइम ब्रान्च के द्वारा सम्पादित की जा सकें। इसमें कतई लापरवाही न की जाय।

6. वह सभी अपराध जिनकी विवेचना क्राइम ब्रान्च द्वारा की जायेगी उनका पर्यवेक्षण अपर पुलिस अधीक्षक (अपराध) व क्षेत्राधिकारी (अपराध) द्वारा किया जायेगा।

7. पुलिस अधीक्षक, क्राइम ब्रान्च की विवेचना का अर्दली रूप (OR) प्रत्येक माह और पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र अपने अधीनस्थ जनपदों में हर दो माह में एक बार अर्दली रूप (OR) अवश्य करेगें।

8. जोनल पुलिस महानिरीक्षक व परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक से अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्त व्यवस्था प्रत्येक जनपद में 30 जूलाई-2013 तक अवश्य लागू करायें।

9. अतः निर्देशित किया जाता है कि समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0 इस आशय का प्रमाण-पत्र दिनांक 31.7.2013 तक अपर पुलिस महानिदेशक(अपराध एवं कानून-व्यवस्था), उ0प्र0 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

भवदीय

(देवराज नागर) 7/13

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/
प्रभारी जनपद, उ0प्र0।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
2. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।